

मु० न०:- ५८ / 2023

तारीखरजु:- 23.5.2023

उनवान:- अमरसिंह बनाम महेश बगै०
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
17.04.2023 23/5/2023	वादी की ओर से श्री सुनील जिन्दल एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 07.07.2023 को पेश हो। (गौरव कुमार मित्तल) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
11/7/23	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... बाहर पधारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 8.8.23 को पेश हो।
8/8/23	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... बाहर पधारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 18.9.23 को पेश हो।
18/9/23	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन, रखा गया है। पीठासीन अधिकारी... बाहर पधारे हैं। गतानुसार दिनांक... 17.10.23 को पेश हो।
17/10/23	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... बाहर पधारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 15.12.23 को पेश हो।
15/12/23	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नरु। लगा 06 के फुल: रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को हिदायत दी गई वास्ते तलबी दिनांक 31.1.24 को पेश हो।

1670-75
23/5/23



दिनांक	फर्द अहकाम
16.4.25	पत्रावली पेश हुई। वाडी वकील को पुलिसवाडी नाम। कनाथर के तखती मोरिस पेश करने की सिफारिश दी गई। वार के तखती विनाम 20.5.25 को पेश हो।
20.5.25	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। अतानुसार दिनांक 23/5/25 को पेश हो।
23/5	पत्रावली पेश हुई। वाडी सुप वाडी वकील को उपस्थित नही वार 2 भावजा दिखी गई। दूसरे वायबुड भी कोडी उपस्थित नही हुआ दूसरे वाडी सुप वाडी वकील का रावा वायर स्थायी मेरे व्याडा वाडी सुप वाडी वकील की काडम इजिपी काडम पेश की मेरे इमारिज किया जाल है। पत्रावली पेश वकालत होकर नामवर के कम कर डारिक डारिक हो।